

जारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अदकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

27/12/24

पत्रावली पेश हुई।
आदेशिका को अवलोकन किया गया।
आदेशिका के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज
जमा नहीं किया गया।
को भी है

9/1/25

9/1/25

पत्रावली पेश हुई।
आदेशिका को अवलोकन किया गया।
आदेशिका के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज
जमा नहीं किया गया।
को भी है

11/2/25

11/2/25

पत्रावली पेश हुई। व कुलाम अर्थात्
आदेशिका को अवलोकन किया गया।
आदेशिका को जवाब को फिर से उपस्थित
होने के पूर्व ही अन्य अवसर मिले।
परन्तु आज दिनांक को भी जवाब उपस्थित
नहीं है। अधिवक्ता को जवाब की उपस्थिति
होने पर अवसर और चर्चा जमा।
आदेशिका के एक अंतिम अवसर 500/-
का राशि पर दिया जाता है। पत्रावली
द्वारा आदेशिका को जवाब उपस्थित
होने का दिनांक 18/2/2025 को पेश
है।

अदकाम को जवाब

18/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील को अनुपस्थित।
जवाब अनुपस्थित। पत्रावली मूख आदेशिका के
अवलोकन के पर स्पष्ट है कि को आदेशिका को
जवाब को फिर से उपस्थित करने हेतु
आदेशिका दिनांक 14/1/2019 से लगाता है।
अवसर मिले जा रहे हैं परन्तु आज दिनांक
तक आदेशिका को जवाब (को) उपस्थित नहीं

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

डुए | आदेशिका जिनॉड 25.2.2019 को वाडी
 अपिक्मता अनुपाल्यत; आदेशिका जिनॉड 20/1/22
 जिनॉड 13/2/22; जिनॉड 30/3/22 को भी
 वाडी अपिक्मता अनुपाल्यत रहे। तत्पश्चात्
 आदेशिका जिनॉड 19/4/22 को वाडी अपिक्मता
 के उपाल्यत रहने के बावजूद जवाह
 अनुपाल्यत रहे। तत्पश्चात् वाडी साक्ष्य में
 जवाह उपाल्यत हेतु अनेकार्थक अवसर
 दिये जाये। पूर्व पेशी पर जवाह उपाल्यत
 हेतु अतिरिक्त अतिरिक्त अवसर उपलब्ध
 शक्ति पर दिये जाये था। परन्तु आज न
 तो वाडी अपिक्मता उपाल्यत व - ग - ही
 जवाह उपाल्यत।

अक्त विवरण से यह स्पष्ट है
 कि वाडी द्वारा अवेक के अवेक (विगत 5
 वर्षों के) अवसर दिये जाने के बावजूद
 मायालय के आदेशों की तन्महील नहीं
 गई व न ही वाडी अपिक्मता तथा न
 ही वाडीगण स्वयं उपाल्यत हुए। अतः
 वाडीगण का वाद अदत हाजरी अदत परवी
 तथा अदत तन्महील में खारिज होगी।
 अतः वाडीगण का वाद अंतर्गत चारा "लोकत
 जारी करने निषेधाज्ञा" को अदत हाजरी अदत
 परवी तथा अदत तन्महील में खारिज किया
 जाता है। पत्रावली फेरुल शुमार होकर नभर
 के कत होकर 'दाखिल' अदत है।



Handwritten signature and official stamp of the District Court, Jaipur.